

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 21, मंगलवार, शाके 1947- अगस्त 12, 2025 <i>Sravana 21, Tuesday, Saka 1947- August 12, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग
प्रपत्र-7

:अन्तर्गत भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्ग्रहणस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम,2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30),की धारा 11(1)एवं राजस्थान नियम 16(1))

प्रारंभिक अधिसूचना

जयपुरए जुलाई 31, 2025

RAJKAJ 16913829 :-चूंकि ऐसा पतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य के बीकानेर के ग्राम कानासर में एस.सी. नं. 147 कानासर-लालगढ़ ओरवब्रिज निर्माण हेतु कुल 1.5675 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है। सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) का कार्य अधिशाषी अभियन्ता सानिवि जिला खण्ड प्रथम,बीकानेर द्वारा किया गया था। एस.आई.ए. अध्ययन की रिपोर्ट का मूल्यांकन नियम 16 के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित बहुउद्देशीय कमेटी द्वारा किया गया जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

1. अधिसूचित भूमि अधिग्रहण,पुनर्वासन और पुनर्ग्रहणस्थापन (अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या 30/2013)में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1)के तहत की गई है।
2. राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों कोए जिनका इससे संबंध है,को ईलाके में किसी भी भूमि का सर्वे नाप व लेवल के लिए प्रवेश करनेए भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोर करने या परियोजना के क्रियान्वतय व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।
3. भूमि अधिग्रहण,पुनर्वासन और पुनर्ग्रहणस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4)के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने के समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बीकानेर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगन सृजित नहीं करेगा।
4. उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस के भीतर अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अधिग्रहण के संबंध में आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

रेलवे ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) बीकानेर (एल0सी0 नं0.147 ब्लॉक सेक्शन कानासर-लालगढ़)

हेतू भूमि की अवाप्ति हेतू धारा 11 एवं धारा 12 की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव

राजस्व ग्राम – कानासर, तहसील- बीकानेर जिला-बीकानेर

क्र. सं.	जिले का नाम	तलुका का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण (खसरा संख्या)	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अवाप्त क्षेत्रफल वर्गमीटर में	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	भू स्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बीकानेर	बीकानेर	कानासर	815/293	निजी	गै. मु.	4679.00	0.4679	1.5428	1. पी0ए0 एगो कम्पनी एवं सुरजाराम, पुत्र पेमाराम, विरेन्द्र पुत्र सुखरामाराम
2	बीकानेर	बीकानेर	कानासर	817/293	निजी	गै. मु.	2023.00	0.2023	1.4164	अनोपाराम पुत्र बाबुराम
3.	बीकानेर	बीकानेर	कानासर	821/293	निजी	बारानी	505.00	0.0505	0.3667	रोहित कुमार पुत्र कृष्ण कुमार यादव
4.	बीकानेर	बीकानेर	कानासर	827/293	निजी	बारानी	505.00	0.0505	2.4028	मनोज पुत्र भंवरलाल मेघवाल सुजानगढ़
5	बीकानेर	बीकानेर	कानासर	742/4	निजी	गै. मु.	505.00	0.0505	0.5058	मनीषा पुत्री मोहनराम बीकानेर
6	बीकानेर	बीकानेर	कानासर	742/3	निजी	बारानी	632.00	0.0632	0.7587	विनोद कुमार पुत्र मनफूलराम,
7	बीकानेर	बीकानेर	कानासर	741/1	निजी	बारानी	5311.00	0.5311	7.6637	साधना पत्नि श्याम माली, बीकानेर
8	बीकानेर	बीकानेर	कानासर	742/2	निजी	बारानी	505.00	0.0505	1.2646	रेणु पत्नि राकेश जाति भण्डारी निवासी जयपुर
9	बीकानेर	बीकानेर	कानासर	740/3	निजी	बारानी	505.00	0.0505	0.7334	मै0पी0ए0

										एण्ड कम्पनी जरिए अविनाश पुत्र अरुण
10	बीकानेर	बीकानेर	कानासर	292/7	निजी	गे०मु०	505.00	0.0505	1.5302	सुखरामाराम पुत्र झुमरराम, हिस्सा 2.3391 वर्गमीटर और वगैरहा
परियोजना में प्रस्तावित कुल अवाप्त भूमि का क्षेत्रफल							15675	1.5675	18.1851	

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।